समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)
-: आदेश :-

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-32(आ0), दिनांक-10.03.2016 द्वारा गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उप शीर्ष-0003, जिला पंचायत की स्थापना के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उपलब्ध कराई गई राशि को निम्नवत प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके अधियाचना के आलोक में प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल तथा विभाग में प्रतिनियुक्त प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के बकाया वेतनादि भुगतान हेतु उनके नाम के सामने उपावंटित किया जाता है।

प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु

क्र0	प्रखंड का नाम	वेतन 0101	जी0या0भत्ता 0103	मकान भत्ता 0104	चिकित्सा भत्ता 0106	योग
1	मधेपुरा	185000	225000	5000	1600	416600
2	घैलाढ़	251545	135335	13770	4800	405450
3	शंकरपुर	726308	808357	52083	11600	1598348
4	सिंहेश्वर	625685	660225	14200	62035	1362145
5	मुरलीगंज	1177339	1275770	127099	1320	2581528
6	कुमारखंड	1709635	716505	70480	7200	2503820
7	गम्हरिया	874671	771813	32592	7200	1686276
8	ग्वालपाड़ा	812997	820946	47956	11800	1693699
9	बिहारीगंज	1525454	980000	71500	500	2577454
10	उदाकिशुनगंज	2823386	6705951	482566	107959	10119862
11	पुरैनी	459000	524260	38718	6000	1027978
12	चौसा	1388480	1362838	121536	24986	2897840
13	आलमनगर	440500	513000	22500	4000	980000
	कुल योग :-	13000000	15500000	1100000	251000	29851000

मो0 (दो करोड़ अंठनवे लाख इक्यावन हजार) रुपये मात्र

विभाग में प्रतिनियुक्त प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हेतु राशि का उपावंटन

क्र0	प्रखंड का नाम	वेतन 0101	जी0या0भत्ता 0103	मकान भत्ता 0104	चिकित्सा भत्ता 0106	योग
1	मुरलीगंज	1000000	1250000	200000	50000	2500000

मो0 (पच्चीस लाख) रुपये मात्र

2. यह उपावंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक-17.04.1998 एवं 396, दिनांक-24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उपावंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. मानवीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान इस उपावंटित राशि से किया जा सकता है।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/ लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/ प्राथमिकता इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसगंत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ भुगतान करनेवाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या एन 2515000010003 है।

10. राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवंटित राशि का मासिक व्यय विवरणी निश्चित रूप से प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक 28.03.02016 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

ह०/-

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-14-12/2015-16- ....188.../पं0, मधेपुरा, दिनांक-15/03/2016.

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिले के वेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

15/3

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।